निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 207 / 2020 तारीख दायरा 27.10.2020

उनवान

गोबरी लाल पुत्र मन्नालाल जाति नायक निवासी ग्राम मालीहेडा तह. सांगोद जिला कोटा। —वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। —प्रतिवादी

वाद अंतर्गत धारा 88,89 रा.टी.एक्ट

उपस्थित :—

श्री किशोरी लाल चौधरी (वकील वादी) दिनॉक :— 15.12.2020

सरकार पैरोकार (प्रतिवादी)

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम जालीहेडा पटवार हलका कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा के नकल जमाबंदी सं. 2075 से 2078 के अनुसार खाता सं. नई 38 की निम्न खसरा नम्बरान की आराजी स्थित है जिस पर वादी बहैसियत खातेदार काश्त करता चला आ रहा है—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:31:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

क.स.	खसरा न.	रकबा हैक्टर
1	135	1.99
2	22	0.09

कुल 2 किता की कुल 2.08 हैक्टर आराजी

उक्त आराजी वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें वादी के नाम के पूर्व माफी चौकीदार रिज्यूम शब्द जुडा हुआ है जिसे वादी हटवाना चाहता है, क्योंकि उक्त रिज्यूम शब्द माफी चौकीदारी होने से वादी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर सरकारी/अर्द्व सरकारी संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने व आराजी का विकास कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। उक्त माफी चौकीदारी रिज्यूम दर्ज होने की वजह से वादी को किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है और वादी सम्पूर्ण सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है। जबकि वादी को अपने खाते की आराजी पर सम्पूर्ण लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।

रिज्यूम्पशन ऑफ माफी एवं जागीरीज एक्ट प्रभाव में आने के वक्त उक्त आराजी के कब्जेदार खातेदार कृषक हो गये तथा आराजी रिज्यूम हो गई तथा उक्त खातेदार का नाम काश्तकार की हैसियत से दर्ज कर दिया गया था परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने सेटलमैन्ट के बाद खातेदार के साथ माफी चौकीदारी रिज्यूम शब्द दर्ज कर दिया गया। वादी के नाम के साथ रिज्यूम शब्द दर्ज कर दिये जाने का कोई आशय नहीं है, ऐसी स्थिति में वादी उसके नाम के साथ दर्ज रिज्यूम शब्द माफी चौकीदारी हटवा कर अपने खाते में दुरस्ती करवाने का अधिकारी है।

वाद कारण वादी को राजस्व रे[illegible]पर लेण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद को माफी चौकीदारी रिज्यूम शब्द हटाने [illegible] तैयार नहीं होने तथा वादी को सक्षम न्यायालय से रेकार्ड दुरस्ती का वाद प्रस्तुत [illegible]ने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:51:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम के आगे रिज्यूम शब्द अंकित होने से वादी को अपनी आराजी पर कृषि ऋण लेने, योजनाओं का लाभ उठाने में तथा आराजी का विकास कार्य करवाने में काफी परेशानी हो रही है, साथ ही भविष्य में भी वादकारिता बढने की संभावना है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादर पारित फरमायी जावें कि–

माल ग्राम जालीहेडा पटवार हलका कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता सं. नई 38 की ख.न. 135 की 1.99 है. तथा खसरा न. 22 की 0.09 है. आराजी कुल 2 किता की कुल 2.08 है. आराजी के खाते में दर्ज वादी के नाम के साथ दर्ज कर रखा माफी चौकीदारी रिज्यूम शब्द हटाया जाकर राजस्व रेकार्ड की दुरस्ती किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमाया जावें। इस आशय की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के सादिर ओदश पारित फरमावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी की तलबी हो चुकी है। सरकार पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार ग्राम जालीहेडा पटवार हलका कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता सं. नई 38 की ख.न. 135 की 1.99 है. तथा खसरा न. 22 की 0.09 है. आराजी कुल 2 किता की कुल 2.08 है. आराजी माफी चौकीदारी रिज्यूम गोबरीलाल पुत्र मन्नालाल जाति नायक रहन बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सांगोद के नाम दर्ज है तथा उक्त प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा कोई राजकिय शुल्क जमा होता हो तो जमा करवाया जाकर खातेदारी दिया जाना उचित है, प्रकरण में कोई राजहित प्रभावित नहीं होता है।

वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में जो जवाब सरकार, दस्तावेजात, पक्षकारों के अभिवचनों पर सूक्ष्म अवलोकन करने के उपरान्त मैं दावा वादी स्वीकार करना उचित समझती हूँ। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:51:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि –

माल ग्राम जालीहेडा पटवार हलका कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता सं. नई 38 की ख.न. 135 की 1.99 है. तथा खसरा न. 22 की 0.09 है. आराजी कुल 2 किता की कुल 2.08 है. आराजी के खाते में दर्ज वादी के नाम माफी चौकीदारी रिज्यूम गोबरीलाल पुत्र मन्नालाल के साथ दर्ज माफी चौकीदारी रिज्यूम शब्द हटाया जाकर गोबरीलाल पुत्र मन्नालाल दर्ज किया जावें। उक्त घोषणा के अनुकम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रकरण में वर्णित आराजी पर रहन होने की स्थिति प्रथम चार्ज बैंक का होने के कारण रहन यथावत रहेगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष के स्वयं के हिस्से तक रहन है तो निर्णय के पश्चात रहन उक्त व्यक्ति पर यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:51:01 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 15.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 207 / 2020 तारीख दायरा 27.10.2020

उनवान

गोबरी लाल पुत्र मन्नालाल जाति नायक निवासी ग्राम मालीहेडा तह. सांगोद जिला कोटा। –वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। –प्रतिवादी

वाद अंतर्गत धारा 88,89 रा.टी.एक्ट

उपस्थित :–

श्री किशोरी लाल चौधरी (वकील वादी) दिनॉक :– 15.12.2020

सरकार पैरोकार (प्रतिवादी)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री किशोरी लाल चौधरी मिन जानिब मुदई व .... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:51:01 IST
Reason: SelfAttested

माल ग्राम जालीहेडा पटवार हलका कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता सं. नई 38 की ख.न. 135 की 1.99 है. तथा खसरा न. 22 की 0.09 है. आराजी कुल 2 किता की

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

कुल 2.08 है. आराजी के खाते में दर्ज वादी के नाम माफी चौकीदारी रिज्यूम गोबरीलाल पुत्र मन्नालाल के साथ दर्ज माफी चौकीदारी रिज्यूम शब्द हटाया जाकर गोबरीलाल पुत्र मन्नालाल दर्ज किया जावें। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 15.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:51:01 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद